R.M.M. Law College, Saharsa
Lecturer - Nareshji Ananand
LL.B. Part IInd
Paper - Ist (Muslim Law)
Family Law

मुस्लिम विवाह का स्वरूप

अब्दुल कादिर व सलीमा के वाद में विद्वान न्यायधीश महमूद द्वारा दिया गया निर्णय बहुत प्रसिद्ध है। वाद दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना का होते हुए भी निम्न बिन्दुओं पर न्यायधीश के विचारों को विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है, ये बिन्दु है—

(i) विवाह का स्वरूप,
(ii) पति की मेहर अदायगी की जवाबदारी.
(iii) पति तथा पत्नि के वैवाहिक अधिकार
(iv) हनफी विधि के निर्वचन के सामान्य नियम।

न्यायधीश महमूद के अनुसार, मुसलमानों में विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है। एक शुद्ध सिविल संविदा है और यद्यपि इसे संपन्न करते समय सामान्यतया कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं फिर भी मुस्लिम विधि इस अवसर पर कोई विशेष धार्मिक विधि निर्धारित नहीं करती। जिन विभिन्न तरीकों द्वारा तथा परिस्थितियों में विवाह की संविदा सम्पन्न की जाती है अथवा सम्पन्न होने की उपधारणा की जाती है, उनके आधार पर

Scanned with CamScanner

स्पष्ट होता है कि विवाह एक दिवानी संविदा है और एक दीवानी संविदा होते हुए भी इस जीवन में उतारा आरोपित नहीं है। इस संविदा की वैधता तथा प्रवर्तिता जिन औपचारिकताओं पर निर्धारित है वे हैं एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव की घोषणा, संविदा के दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा सहमति, संविदा के पक्षकार यदि नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनके प्राकृतिक अथवा विधिक संरक्षकों द्वारा, पक्षकार सक्षम गवाहों के समक्ष उपरोक्त औपचारिकताओं का निभाना। इसके साथ ही आवश्यक है कुछ कर्त्तव्यों का निर्धारण जिनके इन विशेष परिस्थितियों के सिर्फ में पालन करना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णन मुहम्मद विधि का सही सार प्रस्तुत करता है, इस तथ्य को श्रेष्ठतम लेखक भी मानते हैं।

बेली के अनुसार विवाह एक ऐसी संविदा है जिसका उद्देश्य उपभोग का अधिकार एवं बच्चे पैदा करने का माध्यम मात्र है। पर वह जीवन में सदाचार पूर्ण के लिए भी प्रारम्भ किया गया है, और आदमी की मूल आवश्यकता है। इस कारण कुछ दशाओं में भी विवाह वैध है। जब संविदा की अवधि समाप्त हो जाती है या मृत्यु की सीमा पर है विवाह वैध है। अन्य संविदा के तरह ही विवाह के दो आधार स्तम्भ हैं। — ईजाब और कबूल — घोषणा और स्वीकार। प्रथम

(3)

कौल – चाहे आदमी की ओर से हो या औरत की ओर से घोषणा कहलाता है और दूसरा कौल दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार करने का होता है।

विवाह की संविदा के गठन का यही नियम हिदाया में भी दिया गया है। बेलियन के अनुसार "विवाह की संविदा की जाती है अर्थात इसका प्रभावीकरण तथा पुष्टिकरण घोषणा एवं स्वीकारोक्ति द्वारा किया जाता है और ये दोनों भूत कालिक शब्दों में करना होता है।

मेहर जो विवाह के उपरान्त देय होता है – को सिविल संविदा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों प्रतिफल के स्थान पर मानने की भूल नहीं करना चाहिए।

न्यायमूर्ति महमूद के अनुसार – मोहम्मडन विधि में मेहर वह रकम या सम्पत्ति है जो पति विवाह के प्रतिफल में पत्नी को भुगतान करने अथवा प्रदान करने का वचन देता है। मोहम्मडन विधि का मेहर और लोगों के शादी में दिये जाने वाली रकम से काफी मेल खाता है मोहम्मडन विधि वाली मेहर को वैवाहिक रतिक्रिया के एवज में प्रतिफल माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति महमूद ने विवाह के धार्मिक पहलू पर कुछ भी नहीं कहा है। यह सत्य है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो मुस्लिम विवाह किद्वादन है। पैगम्बर

है कहा कि प्रत्येक स्वस्थ मुसलमान जो आर्थिक दृष्टि से खर्च वहन कर सकें, उसे विवाह जरूर करना चाहिए।

"जो भी विवाह करता है वह अपने धार्मिक कर्तव्य का आधा भाग पूरा कर लेता है, शेष आधा सद्गुणी जीवन व्यतीत करते हुए और हमेशा अल्लाह से डरते हुए पूरा करता है।"

इस्लाम में कोई मजाक की अनुमति नहीं है।

तीन प्रकार के व्यक्तियों की सहायता का दायित्व अल्लाह ने स्वयं अपने ऊपर लिया है। एक वह जो स्वतंत्र स्वतंत्रता तय करना चाहता है। दो वह जो अपनी पवित्रता सुरक्षित करने हेतु विवाह रचाता है। और तीन वह जो अल्लाह के लिए युद्ध करता है।